FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0001 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 20/01/2026 15:19 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 08/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 20/01/2026

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 14:37 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/01/2026 **Time (समय):** 14:37 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Date and Time (दिनांक और समय):** 20/01/2026 14:37 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 110 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड विभाग, यमुनानगर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** रिंकू चौहान

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री कृष्ण चौहान

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1986 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**निवासी बिजली बोर्ड कालोनी, वार्ड नम्बर 5 घरोण्डा, जिला करनालKARNAL, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**निवासी बिजली बोर्ड कालोनी, वार्ड नम्बर 5 घरोण्डा, जिला करनालKARNAL, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-8708759192

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सहायक दिव्या जोशी			1. पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड,यमुनानगरYAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,

इन्सपैक्टर साहब,
विजीलैंस, यमुनानगर।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं रिंकू चौहान पुत्र श्री कृष्ण चौहान निवासी बिजली बोर्ड कालोनी वार्ड न. 5, घरौण्डा जिला करनाल का रहने वाला हूं। मैंने यमुनानगर में लालद्वारा के नजदीक प्रभु नाम से एक हस्पताल शुरू किया है इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग, यमुनानगर से सी.ई.टी. सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता थी जिसके लिए मैं लगभग दो महिने पहले पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड यमुनानगर में गया था और वहां पर एक महिला कर्मचारी जिसका नाम दिव्या जोशी है और वह सहायक के पद पर कार्यरत है से मिला था। जिसके कहे अनुसार मैंने अपने उपरोक्त हस्पताल के लिए सी.ई.टी. सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में जरूरी सारे दस्तावेज जमा करवा दिए थे और सरकारी फीस कुल 14511/- रूपये भी लगभग एक महिना पहले ही पोल्यूशन विभाग यमुनानगर के कार्यालय में जाकर प्रदूषण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करवा दी थी। इस बारे मैंने मैडम दिव्या से पूछा था कि मेरे उक्त हस्पताल का सी.ई.टी. सर्टिफिकेट कब तक जारी होगा तो उसने मुझसे कहा कि सिर्फ दस्तावेज व सरकारी फीस जमा करवाने से ही सी.ई.टी. सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा इसके लिए आपको हमारी सेवा पानी भी करनी पड़ेगी तो मैंने उससे पूछा कि क्या सेवा पानी करनी पड़ेगी तो उसने मुझे कहा कि वह आर.ओ. व एस.डी.ओ. से बात करके चार-पांच दिन में बता देगी तथा उसने अपना व्हाटसअप्प नम्बर 9876417447 भी दिया। उसके बाद मेरी उससे व्हाटसप्प कॉल के माध्यम से बात हुई जिसने मुझे कहा कि 10000/- रूपये उसके व कम्पयूटर वाले के लिए व 50000/- रूप्ये एस.डी.ओ. व आर.ओ. के लिए रिश्वत की मांग की। उसके बाद मैं अपने निजी प्रोबल्म के कारण उनके कार्यालय में नहीं जा सका और ना मैडम दिव्या से इस बारे बात कर सका। दिनांक 08.01.2026 को मैंने अपने व्हाटसप्प नम्बर 8708759192 से उनके उपरोक्त व्हाटसप्प नम्बर पर बात की। जिसने मुझे कार्यालय में आकर ही बात करने बारे कहा तो मैं दिनांक 08.01.2026 को ही कुछ समय बाद उनके कार्यालय में जाकर उससे मिला। जिसने मुझसे जानबुझकर बहाने से दस्तावेज मांगे जो मैंने पहले ही जमा करवाये हुए थे तो मैंने उससे उसके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि कुछ कम करने के लिए रिकवस्ट की लेकिन उसने कहा कि हमारे तो आप 10000/- रूप्ये ही देना इसमें 5000/- रूपये मेरे है और 5000/- रूपये कम्पयूटर वाले के है और बाकि के आप क्या देना चाहते हो तो मैने 20 हजार कहा तो उसने कहा कि आर.ओ. और एस.डी.ओ. की 10-10 हजार रूप्ये में बात नही बनेगी उसने मुझसे कहा कि चलो हमारे तो 10 और उनके 25 दे जाना मैं देख लूंगी और कहा कि मैं यह सर्टिफिकेट बनवा दूंगी और आप यह सर्टिफिकेट ले जाना और रिश्वत राशि दे जाना। उसके चार-पांच दिन बाद मेरे पास व्हाटसप्प पर फिर से दिव्या जोशी का फोन आने पर मैं उनके ऑफिस में जाकर उससे मिला जिसने मुझसे उपरोक्त कार्य की ऐवज में पहले रिश्वत देने की बात कही जिस पर मैंने कहा कि आप मेरा काम तो करवाओ मैं पैसे दे दूंगा तो उसने कहा कि हमारे वाले तो दे दो उसने मुझे पैसे देने के लिए मजबूर किया तो मैंने उस समय मजबूरीवश 5000/-रूपये उसको दे दिए और बाकि के पैसे के बारे में कहा कि आप मुझे मेरे हस्पताल का सी.ई.टी. सर्टिफिकेट दे देना और हाथ की हाथ अपने बाकि पैसे ले लेना। तो उसने मुझे दो-तीन का समय दिया। इस सिलसिले में कल दिनांक 19.01.2026 को भी दिव्या जोशी की व्हाटसप्प कॉल मेरे पास आई जिसने मुझे कहा कि आपका काम हो गया है आप कल आ जाना और बाकि रिश्वत के पैसे देकर अपना सी.ई.टी. सर्टिफिकेट ले जाना। लेकिन मैं उसको यह रिश्वत की राशि नही देना चाहता और उसे आज 30000/- रूपये बतौर रिश्वत देकर रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मैंने उपरोक्त महिला कर्मचारी सहायक दिव्या जोशी की मुझसे रिश्वत के सम्बन्ध में दिनांक 08.01.2026 को हुई बातचीत की रिकार्डिंग अपने एक रिकार्डिंग डिवाइस मार्का SONY में की हुई है जिसको मैं आपको पेश कर रहा हूं। मैं आज सहायक दिव्या जोशी उपरोक्त को रिश्वत के रूप में दी जानी वाली राशि 500/500 रूप्ये वाले 60 नोट कुल 30000/- रूपये भी अपने पास से आपको शिकायत के साथ पेश कर रहा हूं। कृप्या करके उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जावे।

Sd Rinku chauhan

भवदीय

रिंकू चौहान पुत्र श्री कृष्ण चौहान

निवासी बिजली बोर्ड कालोनी

वार्ड न. 5, घरौण्डा जिला करनाल।

मो. न. 8708759192

दिनांक 20.01.2026

कार्यवाही पुलिसः- आज मन निरीक्षक, उप निरीक्षक संजय कुमार न. 160/ए उप निरीक्षक उधम सिंह न. 597/

यमुनानगर, सहायक उप निरीक्षक पपिन्दर सिंह न. 1227/कुरुक्षेत्र, सहायक उप निरीक्षक विशाल न. 366/गुरुग्राम, मुख्य सिपाही विमल कुमार न. 702/पंचकूला. ई. एच.सी. सुखविन्द्र सिंह न. 1253/अम्बाला तथा सिपाही कृष्ण कुमार न. 713/अम्बाला के कार्यालय राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर हाजिर हूं कि रिंकू चौहान पुत्र श्री कृष्ण चौहान निवासी बिजली बोर्ड कालोनी वार्ड न. 5. घरौण्डा जिला करनाल ने हाजिर कार्यालय आकर अपनी उपरोक्त टाईपशुद्धा शिकायत व एक अदद रिकार्डिड डिवाईस मार्का SONY बारंग काला मन निरीक्षक को पेश की। जो रिकार्डिंग डिवाईस में मौजूद आडियों रिकार्डिंग को डिवाईस में ही चलाकर सुनने व शिकायत के सार से अपराध धाराधीन 7 पी.सी. एक्ट 1988 का होना पाया जाता है। रिकार्डिंग डिवाईस को खुद की तहवील में लेकर बजरिया फर्द बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया। जो हालात बारे अफसरानबाला को बजरिया टेलीफोन सूचित किया गया तथा रेड कार्रवाई के लिए राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह नियुक्त करने व महिला कर्मचारी भिजवाने के लिए अनुरोध किया गया। जो दरखास्त उपरोक्त पर लेख तैयार करके अभियोग अंकित करवाने के लिए मुख्य सिपाही विमल कुमार न. 702/पंचकूला को थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकूला भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट अभियोग स्पेशल मैसेन्जर वा ईमेल के माध्यम से स्पेशल जज यमुनानगर की सेवा में वा प्रथम सूचना रिर्पोट की प्रतियों उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जावें। मन निरीक्षक रेड कार्यवाही की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने में व्यस्त होता हूं।

अजः कार्यालय राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर।

SD Ishwer chander

(ईश्वर चन्द्र)

निरीक्षक/ईन्चार्ज,

राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

उपकेन्द्र यमुनानगर।

दिनांक: 20.01.2026

समय :11:40 AM

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 01 दिनांक 20.01.2026 धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17 पंचकुला अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पैशल मैजीस्ट्रेट साहब,जगाधरी यमुनानगर की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल बादस्त HC विमल कुमार 702/पंचकुला के अनुसंधान अधिकारी के पास मौका पर भेजी जा रही है । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ISHWAR SINGH **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 33A **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PANKHURI KUMAR

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.